

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 226] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 8, 1986/आश्विन 16, 1908  
No. 226] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 8, 1986/ASVINA 16, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as  
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1986

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 21/ई टी सी (पी एन)/86

विषय :—मोर की पूंछ के पंखों और वस्तुओं/मोर की पूंछ के पंखों से बने हस्तशिल्प  
का निर्यात—नीति।

फा.सं. 30/6/86-ई.-II.—उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं. 15-ई टी सी  
(पी एन)/86, दिनांक 20 अगस्त, 1986 की और ध्यान दिलाया जाता है।

2. आयात-निर्यात नीति पुस्तक 1985-88 (खंड-2) के पृष्ठ 9 पर नीति विवरण में क्रम सं. 4(घ) के सामने कालम 3 में आने वाली वर्तमान शर्त (3) को निम्न प्रकार से पढ़े जाने के लिये प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

“(3) अपरिवर्तनीय साख पत्र के मद्दे या द्विदिश्ट निर्यात आदेश के मद्दे 100% जहाज पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य के अग्रिम भुगतान के साक्ष्य के रूप में अनुत्तुब बैंक द्वारा बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निर्यात की अनुमति दी जायेगी।”

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक  
आयात एवं निर्यात

## MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 8th October, 1986

### EXPORT TRADE CONTROL

#### PUBLIC NOTICE NO. 21-ETC(PN)|86

Subject :—Export of Peacock Tail Feathers and articles/Handicrafts made of Peacock Tail Feathers—Policy thereof.

File No. 30(6)|86-E. II.—Attention is invited to Public Notice No. 15-ETC(PN)|86 dated 20th August, 1986, on the above subject.

2 The existing condition No. (iii) appearing in col. 3, against S. No. 4(d) of the Policy Statement at page 9 of the Import and Export Policy Book 1985-88 (Vol. II) shall be substituted to read as follows :—

“(iii) Export shall be allowed against Irrevocable Letter of Credit or on production of a bank certificate by a Scheduled Bank in India as evidence of advance payment covering 100 per cent FOB value against specific export order.”

R. L. MISRA, Chief Controller  
of Imports & Exports